भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2325

मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया योजना

2325. डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरकार द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;
(ख) विशेषकर राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत और अधिक लोगों को कवर करने के लिए नए कदम उठाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत, निवेश प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहायता करने, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 25 सितंबर, 2014 को की गई थी। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है, जिसने दुनिया में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशों स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश संपर्क बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित मेक इन इंडिया 2.0, 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत 27 क्षेत्रों की सूची निम्नानुसार है:-

विनिर्माण क्षेत्र

(i) एयरोस्पेस और रक्षा
(ii) ऑटोमोटिव और ऑटो पुर्जे
(iii) फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
(iv) जैव-प्रौद्योगिकी
(v) पूंजीगत सामान
(vi) वस्त्र और परिधान
(vii) रसायन और पेट्रो रसायन
(viii) इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
(ix) चमड़ा और फुटवियर
(x) खाद्य प्रसंस्करण
(xi) रत्न और आभूषण
(xii) शिपिंग
(xiii) रेलवे

(xiv) निर्माण

(xv) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

(i) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)

(ii) पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं

(iii) मेडिकल वैल्यू यात्रा

(iv) परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं

(v) लेखांकन और वित्त सेवाएं

(vi) ऑडियो विजुअल सेवाएं

(vii) विधिक सेवाएं

(viii) संचार सेवाएं

(ix) निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं

(x) पर्यावरण संबंधी सेवाएं

(xi) वित्तीय सेवाएं

(xii) शिक्षा संबंधी सेवाएं

वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें, वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट करों में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, अनुपालन बोझ में कमी हेतु उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) शामिल हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा कोविड-19 के कारण उत्पन्न बाधाओं को विकास के अवसरों में बदलने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत निवेश अवसर, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (आईपीआरएस), राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के सॉफ्ट लॉन्च आदि सहित अनेक उपाय किए हैं। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) कार्यान्वय के अधीन है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा से, अगले पांच वर्षों तथा उससे आगे की अवधि के दौरान उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि तथा निर्यात में व्यापक सुधार होने की संभावना है। अब तक, 14 क्षेत्रों में, राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के 755 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक आकर्षक और निवेशक अनुकूल गंतव्य बना रहे, सरकार नियमित आधार पर एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और शीर्ष उद्योग चेंबरों, संघों, उद्योगों/समूहों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों सहित हितधारकों से परामर्श करने के बाद समय-समय पर इसमें बदलाव करती है। सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में एफडीआई अंतर्वाह 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वित्त वर्ष 2021-22 में 84.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई अंतर्वाह दर्ज किया गया।

*****